<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 7/02/2026-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथी तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक: 2 मार्च, 2026

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>

मामला संख्या एडी (एए)-1/2026

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "ग्लुफोसिनेट और उसके साल्ट्स" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समामेलन-रोधी जांच की शुरुआत।

1. **फा. सं. 7/02/2026-डीजीटीआर:** समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' या 'पाटनरोधी नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, यूपीएल लिमिटेड, एस्ट्रल लाइफ इंडिया लिमिटेड, स्वाल कार्पोरेशन, यूनाइटेड फासफोरस (इंडिया) एलएलपी और यूपीएल सस्टेनेबल एग्री साल्यूशन लिमिटेड (जिन्हें आगे 'आवेदक' कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लूफोसिनेट और उसके साल्ट्स' (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन का आरोप लगाया है।

2. अधिनियम की धारा 9ए(1बी) और नियमों के नियम 29(2) के अनुसार, यदि कोई वस्तु जिस पर डंपिंग-विरोधी शुल्क लागू है, भारत में ऐसे मूल्य पर या ऐसी स्थिति में आयात की जाती है जिससे मौजूदा डंपिंग-विरोधी शुल्क का अवशोषण हो जाता है या हो सकता है, तो नामित प्राधिकारी समीक्षा करने के बाद, डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, शुल्क के स्वरूप या आधार और/या डंपिंग-विरोधी शुल्क की मात्रा या दोनों में संशोधन की सिफारिश कर सकता है। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग या किसी अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा या उनकी ओर से पर्याप्त साक्ष्य सहित किए गए आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क के अवशोषण के कारण मौजूदा डंपिंग-विरोधी शुल्क अप्रभावी हो गया है या हो सकता है।

3. घरेलू उद्योग ने नियम 31 (1) के प्रावधानों के अनुसार संशोधित शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध किया है और नियम 30(5) के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा का परिणाम आने तक आयातों के अनंतिम आकलन का भी अनुरोध किया है।

क. <u>पृष्ठभूमि</u>

4. व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपने अंतिम जॉंच परिणाम संख्या 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से चीन जन. गण. से आयातित ग्लुफोसिनेट और उसके साल्ट्स पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क नीचे दिए गए हैं:-

क्र सं	एचएस कोड	उत्पादक	राशि
1	38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 और 38089999	कोई उत्पादक	2998 डा./एमटी

5. वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 09/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 8 मई 2025 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाए गए। पाटनरोधी शुल्क डीजीटीआर द्वारा अधिसूचित एचएस कोडों के अंतर्गत आने वाले उत्पाद के आयातों पर लगाए गए हैं तथा टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने उपायों का विस्तार अतिरिक्त एचएस कोडों तक भी किया है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

6. प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में अंतिम जाँच परिणाम सं. 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी 2025 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विचाराधीन उत्पाद का दायरा, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, निम्नानुसार है:

"18. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा ***ग्लुफोसिनेट तथा उसके साल्ट्स, तकनीकी एवं फॉर्म्युलेशन दोनों रूप में,*** *है।"*

7. ग्लुफोसिनेट एक शाकनाशी है, जो विभिन्न प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने में अपनी प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। ग्लुफोसिनेट का सक्रिय घटक पौधों की कुछ आवश्यक अमीनो अम्लों के उत्पादन की क्षमता को बाधित करता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है और अंततः पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसकी कार्यप्रणाली इसे प्रतिरोधी खरपतवारों के प्रबंधन तथा सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने में विशेष रूप से उपयोगी बनाती है। यह एक फॉस्फिनिक अम्ल है जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस रासायनिक समूह से संबंधित है और अन्य किसी भी शाकनाशी रासायनिक वर्ग से भिन्न है।

8. विचाराधीन उत्पाद का कोई पृथक वर्गीकरण नहीं है। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ 38089193, 38089199, 38089391, 38089399, 38089912, 38089991 तथा 38089999 कोडों पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ग. <u>समान वस्तु</u>

9. प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा संबद्ध देश से निर्यातित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानकों के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों को तकनीकी एवं वाणिज्यिक रुप से प्रतिस्थापनीय पाया गया है। अतः वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को चीन से आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

घ. <u>आवेदक</u>

10. यह आवेदन सुपरफॉर्म केमिस्ट्रीज लिमिटेड, यूपीएल लिमिटेड, एरिस्टा लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस (इंडिया) एलएलपी, यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड और एसडब्ल्यूएएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केवल आवेदक ही ग्लूफोसिनैट टेक्निकल का उत्पादन कर रहे हैं और भारत में ग्लूफोसिनैट टेक्निकल का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। भारत में अन्य कंपनियां टेक्निकल का आयात कर रही हैं और इसे फॉर्मूलेशन में परिवर्तित कर रही हैं, और इन उत्पादकों को मूल जांच में घरेलू उद्योग नहीं माना गया था। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग की श्रेणी में आते हैं, और आवेदन नियम 29 के अनुसार दायर किया गया है।

ड़. <u>समीक्षा का दायरा</u>

11. वर्तमान समीक्षा चीन से आयातित संबंधित उत्पाद के सभी मामलों के संबंध में है। यह देखा गया है कि मूल जांच में, भाग लेने वाले उत्पादक के लिए व्यक्तिगत शुल्क की गणना नहीं की गई थी क्योंकि प्राधिकरण ने इसे अपर्याप्त पाया था। इसके अलावा, समीक्षा का दायरा इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या डंपिंग-रोधी शुल्क के स्वरूप या उसकी मात्रा, या दोनों में संशोधन की आवश्यकता है।

च. <u>समामेलन पुनः जांच के आधार</u>

12. आवेदकों ने दावा किया है कि वर्तमान समामेलन जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, मूल जांच की जांच अवधि की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। आवेदकों ने बताया है कि लागू न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) के कारण भारत में आयात कीमत उस कीमत को प्रतिबिंबित नहीं करती है जिस पर उत्पाद चीन से निर्यात किया गया है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि न्यूनतम आयात कीमत लागू होने के कारण कुछ आयात भारत में कहीं अधिक कीमत पर स्वीकृत किए गए हैं, जबकि कुछ आयात कम कीमतों पर हुए हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक न केवल भारत बल्कि अन्य देशों को भी अत्यंत कम कीमतों पर उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। अपने दावे के समर्थन में आवेदकों ने चीन से अन्य देशों को किए गए निर्यात की जानकारी प्रस्तुत की है। अतः आवेदकों ने अनुरोध किया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 29 के अनुसार प्राधिकारी को यह जांच करनी आवश्यक है कि क्या वस्तु की निर्यात कीमत कम हुई है, और इसलिए वस्तु की निर्यात कीमत में हुए परिवर्तनों की तुलना की जानी चाहिए।

13. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह पता चलता है कि चीन से निर्यात कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह भी देखा गया है कि यद्यपि कच्ची सामग्री की कीमतों में कमी आई है, तथापि निर्यात कीमत में कमी उससे कहीं अधिक है।

14. आवेदकों ने पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में वृद्धि दर्शाने वाली प्रथम दृष्टया जानकारी भी प्रस्तुत की है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि उत्पादन लागत में समुचित कमी के बिना निर्यात कीमत में गिरावट हुई है, जिससे पाटनरोधी शुल्क का समामेलन तथा उसके परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में वृद्धि हुई है।

छ. <u>समामेलन अवधि</u>

15. आवेदकों ने जनवरी 2025 से सितंबर 2025 (9 माह की अवधि) को प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित अवधि को उपयुक्त माना गया है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि इस अवधि की कीमत की तुलना 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की निर्यात कीमतों से की जाए, जो मूल जांच की जांच अवधि है।

16. लागू कार्यढांचे की जांच करने पर यह पाया गया कि समामेलन-रोधी समीक्षा के लिए 12 माह की अनिवार्य जांच अवधि निर्धारित करने की कोई बाध्यता नहीं है। अवधि का निर्धारण मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जा सकता है। तदनुसार, प्रस्तावित 9 माह की अवधि को वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त माना गया है।

ज. <u>समामेलन-रोधी समीक्षा की शुरुआत</u>

17. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत रुप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर तथा चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के उपरांत, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, अधिनियम की धारा 9क(1ख) तथा नियमावली के नियम 30 के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादक/निर्यातक द्वारा विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समामेलन की मौजूदगी एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि या स्वरूप या दोनों में संशोधन की सिफारिश करने के प्रयोजनार्थ समामेलन-रोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

18. आवेदकों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार को यह अनुशंसा करे कि नियमों के नियम 31(3) के अनुसार जांच शुरू होने की तिथि से पूर्वव्यापी रूप से पाटनरोधी शुल्क के प्रारूप में संशोधन किया जाए। इच्छुक पक्ष इस अधिसूचना में दी गई समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।

19. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 30(5) के अनुसार इस समीक्षा के पूर्ण होने तक विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों के अनंतिम आकलन की भी सिफारिश करते हैं।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

20. वर्तमान समीक्षा जांच का दायरा केवल इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत कम हुई है और क्या यह गिरावट कच्ची सामग्री में संगत गिरावट के कारण हुई है। वर्तमान समीक्षा जांच में नियमावली के नियम 29, 30 और 31 में यथा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। नियम 6 के प्रावधान यथावश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे।

ञ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला

आईडी- एडी/एबीएस/001/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जॉच शुरूआत अधिसूचना और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जॉच शुरूआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जॉच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढ़ग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. समय-सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी- एडी/एबीएस/001/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

28. समय बढाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफ 25 में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

29. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

30. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

32. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।

34. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं

है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

35. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

36. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

37. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

38. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ. <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षाकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जॉंच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जॉंच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी